

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची – 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि-10.08.2024

विज्ञापन संख्या-04 / 2024

झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक-1480, दिनांक-22.04.2024 द्वारा झारखण्ड वन सेवा के वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

1. (i) पद का नाम- वन क्षेत्र पदाधिकारी
- (ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

Sl. No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy						
			Women	Sports	Primitive Tribe	अंधापन और कम दृष्टि (क)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता (ख)	चलन निःशक्तता (ग)	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता (घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी और/या बहु निःशक्तता (Multiple Disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से हो सकता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i	Unreserved	79	09	03	01	NA	NA	NA	NA
ii	EWS	16							
iii	SC	01							
iv	ST	47							
v	EBC-I	15							
vi	BC-II	12							
Total			170						

नोट :- रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान - PB-II- 9300-34800 (Grade Pay – 4200) (Level-6)
3. पद की प्रकृति - स्थायी
4. पद मूल कोटि समूह - 'ख' (राजपत्रित)
5. परीक्ष्यमान अवधि - 2 (दो) वर्ष

6. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता (Mandatory Educational Qualification and other Eligibility Criteria) :-**

- a) **शैक्षणिक (Educational) :** उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय यथा-कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जन्तु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री।

(A candidate must hold Bachelor's degree with at least one of the subjects namely Agriculture, Agricultural Engineering, Animal Husbandary and Veterinary Science, Forestry, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics, Zoology, Environmental Science or Honours in related subjects or Engineering degree in Civil, Mechanical, Chemical from any recognized university.

- b) **शारीरिक समर्थता परीक्षण के मापदण्ड :**

ऊँचाई (पुरुष)	152.5 से0मी0 (अनु0 जनजाति)	163 से0मी0 (अन्य कोटि)
ऊँचाई (महिला)	145 से0मी0 (अनु0 जनजाति)	150 से0मी0 (अन्य कोटि)
सीना (बिना फुलाए) पुरुष	79 से0मी0 (पाँच से0मी0 फुलाना)	
शारीरिक परीक्षण पुरुष	04 घंटे में 25 कि0मी0 पैदल चलना	
शारीरिक परीक्षण महिला	04 घंटे में 14 कि0मी0 पैदल चलना	

उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य होगा। उसे झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा संवर्ग के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्यपालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। वर्णाधता, रतौंधी एवं फ्लैट फुट वाले उम्मीदवार इस पद के लिए अयोग्य माने जायेंगे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2249, दिनांक-03.04.2018 की कंडिका-5(ख)(ii) के तहत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2132, दिनांक-28.07.2023 द्वारा झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति में दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण इस शर्त के साथ क्षांत किया गया है कि यह exemption मात्र एकबार के लिए होगी।

7. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :- 01.08.2024**

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 21 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-29, दिनांक-04.01.2021 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

SI No.	Category	Upper Age Limit
1	Unreserved	35 Years
2	Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)	37 Years
3	Female (Unreserved/Extremely Backward Classes (Annexure-I)Backward Classes (Annexure-II))	38 Years
4	Scheduled Tribes/Scheduled Castes (Male and Female)	40 Years
5	Economically Weaker Section	35 Years
6	Ex-Servicemen	A relaxation of 5 years in their respective category.

8. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे तथा निम्न क्रम में आयोजित किये जायेंगे :-

- (a) प्रारंभिक परीक्षा
- (b) मुख्य लिखित परीक्षा
- (c) शारीरिक परीक्षण
- (d) साक्षात्कार
- (e) चिकित्सकीय परीक्षण

(ख) प्रारंभिक परीक्षा – अधियाचित रिक्ति के दस गुणा से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो एक पत्र का होगा एवं जिसका पूर्णांक 150 अंक एवं अवधि दो घण्टे की होगी। यदि अधियाचित रिक्ति के दस गुणा अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी या आयोग जैसा उचित समझे। प्रारंभिक परीक्षा में अधियाचित रिक्ति के दस गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा तथा वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकृति का होगा एवं प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे :-

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन	20
2.	भारत एवं विश्व का भूगोल	20
3.	भारतीय राजव्यवस्था एवं भारत का संविधान	20
4.	भारतीय अर्थव्यवस्था	20
5.	झारखण्ड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति	30
6.	राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ	20
7.	सामान्य विज्ञान	20
कुल		150

(ग) मुख्य लिखित परीक्षा – झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा, नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये संचालन नियमावली के अनुसार आयोग मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

(a). परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक निम्नवत् रहेंगे:-

सामान्य हिन्दी-50 अंक सामान्य अंग्रेजी-50 अंक	-	कुल 100 अंक (Qualifying in nature)	समय 03 घंटा
सामान्य अध्ययन	पत्र-I	100 अंक	समय 02 घंटा
वैकल्पिक विषय-I	पत्र-I	200 अंक	समय 03 घंटा
	पत्र-II	200 अंक	समय 03 घंटा
साक्षात्कार		50 अंक	
कुल		550 अंक	

नोट:-

- मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा।
- एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें दो पत्र होंगे (समय 03 घंटा)।

(b). मुख्य लिखित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे :-

भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दिये जा सकते हैं। प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाये गये हैं।

विषय :-

अंक

'क' अनिवार्य

- सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा तथा विषयनिष्ठ (Subjective) प्रकृति का होगा :- **100**
 - भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
 - भारत एवं विश्व का भूगोल
 - भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था
 - झारखण्ड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
 - राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ
 - सामान्य विज्ञान

- (i) हिन्दी (माध्यमिक स्तर) } 50
(ii) अंग्रेजी (माध्यमिक स्तर) } 50 **100**

हिन्दी के पाठ्यक्रम एवं अंक :-

निबंध	-	20
संक्षेपण	-	10
व्याकरण	-	20

अंग्रेजी के पाठ्यक्रम एवं अंक :-

Essay	-	10
Comprehension	-	20
Grammar	-	20

मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाईंग प्रकृति का होगा जिसके लिए अर्हतांक 30 होगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के पत्र Qualifying होंगे एवं किसी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जायेंगे। इसके अंक लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़े जायेंगे।

‘ख’. प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा ऐच्छिक विषयों की सूची (विषयनिष्ठ—Subjective प्रकृति के)

1. कृषि
2. कृषि अभियांत्रिकी
3. पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
4. वनस्पति शास्त्र
5. रसायन विज्ञान
6. असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering)
7. यांत्रिकी अभियंत्रण (Mechanical Engineering)
8. रासायनिक अभियंत्रण (Chemical Engineering)
9. वानिकी
10. भू-गर्भ शास्त्र
11. गणित
12. भौतिकी
13. सांख्यिकी
14. जन्तु विज्ञान
15. पर्यावरण विज्ञान

(घ) प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर) में कोटिवार न्यूनतम अहर्तांक निम्नवत् होगा:—

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग—अनुसूची II	36.5 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग—अनुसूची I	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

मुख्य लिखित परीक्षा वैकल्पिक विषय के पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर) समेकित रूप में तथा सामान्य अध्ययन के पत्र में न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम मेधा सूची साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा में कुल प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जायेगा। क्वालिफाईंग पेपर के प्राप्तांक अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

(ङ) **साक्षात्कार** —साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जायेगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रचलित पद्धति के अनुरूप ली जायेगी। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम अहर्तांक लागू नहीं होगा।

(च) शारीरिक परीक्षण –

- i. मुख्य लिखित परीक्षा में सफल पाये जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा शारीरिक परीक्षण आयोजित किया जायेगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है, तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जायेगा।
- ii. मुख्य लिखित परीक्षा में सफल पाये जाने वाले उम्मीदवारों को चिकित्सा प्रतिवेदन (उम्मीदवार का कथन और उद्घोषणा) प्रपत्र जमा करना होगा। जो आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

(छ) चिकित्सीय परीक्षण— संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन सिविल सर्जन राँची की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड से लिखित परीक्षा में सफल पाये जाने वाले उम्मीदवारों का आयोग विनिश्चित प्रपत्र में चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगी। आयोग द्वारा आवश्यकता आधारित एक अपीलीय मेडिकल बोर्ड गठित किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील किया जा सकता है।

(ज) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित रिक्तियों के लिए आयोग द्वारा मेधा पर आरक्षण कोटिवार ऐसे उम्मीदवारों की सूची जो शारीरिक एवं चिकित्सकीय जांच में सफल हो चुके हों, को सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जायेगा।

9. आरक्षण का लाभ :- आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

- (a) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- (b) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (c) सभी कोटि के महिलाओं को क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- (d) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (e) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार (Interview) के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

(f) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(i) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2669, दिनांक-10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र-5/प्रपत्र-V (संशोधित/ Amended), पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 प्रपत्र-4/प्रपत्र-IV (संशोधित/Amended) एवं पत्रांक-1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा विहित प्रपत्र-IV/प्रपत्र-4 में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ कार्यपालक **दण्डाधिकारी/ सहायक** समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-4258 दिनांक 29.05.2019 के द्वारा पूर्व में प्रभावी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त स्तर से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-XI/ प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र-XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-

(i) झारखण्ड सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-XI/प्रपत्र-11 Required अंकित हो तो Form-XI/प्रपत्र-11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए :-

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध एवं अद्यतन "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

10. खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण :-

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-332, दिनांक 24.01.2022 के आलोक में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण झारखण्ड राज्य के निवासियों के लिए ही अनुमान्य हैं। खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

क्र०सं०	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i)	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii)	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii)	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

11. (i) केन्द्र सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य जाति प्रमाण-पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र (Central Government Format) मान्य नहीं होगा।
- (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक-235, दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।
- (iii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (iv) अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी। दावे के अनुरूप कोई भी प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए।
- (v) जाति प्रमाण-पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। निर्धारित विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

12. कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है:-

A candidate who is or has been declared to be guilty of :-

- (i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely :-
 - (a) Offering illegal gratification to; or
 - (b) Applying pressure on; or
 - (c) Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
- (ii) Impersonation; or
- (iii) Procuring impersonation by any person; or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (v) Uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature; or
- (vi) Making statement which are incorrect or false or suppressing material information; or
- (vii) Resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely :-
 - (a) Obtaining copy of question paper through improper means; or
 - (b) Finding out the particulars of the persons connected with work relating to the examination; or
 - (c) Influencing the examiners; or
- (viii) Being in possession of or using unfair means during the examination; or
- (ix) Writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
- (x) Misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
- (xi) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or
- (xii) Being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- (xiii) Violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
- (xiv) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;
- (xv) May in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-
 - (a) To be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; and/or
 - (b) To be debarred either permanently or for a specified period :-
 - (i) By the Commission, from any examination or selection held by them;
 - (ii) By the Government from any employment under them, and
 - (c) If he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules :
Provided that no penalty, under this rule shall be imposed except after:-
 - (i) Giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in this behalf; and
 - (ii) Taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

13. (i). झारखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकधाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ **दण्डात्मक/अनुशासनिक** कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(ii). वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

14. परीक्षा शुल्क :-

(i) परीक्षा शुल्क Credit Card / Debit Card / Net Banking / Wallet / Bharat QR / UPI के माध्यम से Payment Gateway द्वारा लिया जायेगा। जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क **रु0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(iii) परीक्षा शुल्क में छूट-

(a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रु0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(b) अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(iv) परीक्षा शुल्क **अप्रतिदेय (Non Refundable)** होगा।

15. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) प्रारंभिक परीक्षा हेतु Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- (ख) झारखण्ड लोक सेवा आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्ध सत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (घ) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **E-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, E-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, E-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (ङ) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (च) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (छ) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ज) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (झ) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

- (ज) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ट) प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व “How to apply” (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.– +919431301636/+919431301419 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ठ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :- 1. +919431301636 2. +919431301419
- (ड) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.– +919431301636/+919431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (ढ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।
- (ण) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (त) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (थ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (द) आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (ध) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण-पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे।

- (न) मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (Self Attested Copy) संलग्न कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे:—
- (i) मैट्रिक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति ।
 - (ii) विज्ञापन में दिये गये अर्हता में डिग्री प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति ।
 - (iv) जाति प्रमाण-पत्र/E.W.S. प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (आरक्षण/अधिकतम उम्र सीमा में छूट/परीक्षा शुल्क में छूट लेने हेतु) ।
 - (v) भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (अधिकतम उम्र सीमा में छूट लेने हेतु) ।
 - (vi) अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो) ।
- (प) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-(न) के अनुरूप यथा वांछित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है ।
- (फ) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, अस्वीकृत आवेदन एवं विलम्ब से प्राप्त पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।
- (ब) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (भ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।
- (म) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है । इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
- (य) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

15. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक प्रारंभिक परीक्षा हेतु Online Application System के माध्यम से दिनांक—29.07.2024 से 10.08.2024 अपराह्न 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से दिनांक—10.08.2024 अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (ग) दिनांक—01.08.2024 के बाद दिनांक—11.08.2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

ह0 /—
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।